

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

॥ अधिसूचना ॥

अधि० सं०-सं०का०-१ / वि०मं०(महानुभाव)०८-१० / २०२६-...../पटना, दिनांक-..... २०२६

बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, २००६ के नियम-३ के आलोक में श्री विनय कुमार चौधरी, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा, पटना को संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना सं०-५३५, दिनांक-२०.०५.२०२६ के द्वारा दिनांक-१५.०५.२०२५ के प्रभाव से राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधायें प्रदत्त हैं। फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम २(ट) तथा नियम ३(ड) से इन्हें उक्त दर्जा के अनुरूप निजी स्टाफ की सुविधा प्राप्त है।

२. बिहार (मंत्रियों के वेतन और भत्ते) अधिनियम, २००६ के धारा २(ख) एवं बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, २००६ के नियम १८ से निर्धारित अनुसूची-१ एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं०-२८८, दिनांक-२३.०६.२०१४ द्वारा मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री को सरकारी एवं बाह्य सेवा के निजी कर्मचारी की सुविधा अलग-अलग प्रावधानित की गयी है।

३. उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में श्री विनय कुमार चौधरी, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा द्वारा राजपत्रित पदाधिकारी के श्रेणी में श्री राधा कान्त, संयुक्त सचिव, कोटि क्रमांक-२५६/२६, गृह जिला-खगड़िया, सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को अपने आप्त सचिव (राजपत्रित) के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु उनके पत्रांक-९३-२६-सचे./बि०वि०सभा, दिनांक-०४.०६.२०२६ द्वारा इस स्वघोषणा के साथ सूचना दी गयी है कि वे उनके सगे-संबंधी नहीं हैं। उपर्युक्त अनुशंसा के आधार पर उक्त पदाधिकारी की सेवा आप्त सचिव (राजपत्रित) के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध कराने हेतु इस विभाग के पत्रांक-६५८, दिनांक-१५.०६.२०२६ द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया था।

४. उपरोक्त के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-१०८५६, दिनांक-१८.०६.२०२६ द्वारा श्री राधा कान्त, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-२५६/२६, सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को श्री विनय कुमार चौधरी, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव (राजपत्रित) के पद पर कार्य करने हेतु सेवा सौंप दिया गया है। तदनुसार इनकी सेवाएं महानुभाव के आप्त सचिव (राजपत्रित) के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार विधान सभा सचिवालय को सौंपने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है। इनकी सेवा इस अधिसूचना के निर्गत होने के पश्चात् योगदान की तिथि से उक्त महानुभाव के कार्यकाल तक बनी रहेगी। परन्तु महानुभाव के द्वारा उसके पहले भी किसी भी तिथि से इनकी सेवा समाप्त कर पैतृक विभाग को वापस किया जा सकता है। सेवा समाप्ति के बाद वे अपने पैतृक विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

५. श्री राधा कान्त, आप्त सचिव के वेतनादि का भुगतान बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतियां सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त करा दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(सुधांशु शेखर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- सं०का०-१ / वि०मं०(महानुभाव)०८-१० / २०२६-..... / पटना, दिनांक-..... २०२६

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना, अवर सचिव, वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, (वित्त विभाग) पटना, प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना, लेखा-शाखा, बिहार विधान सभा, श्री विनय कुमार चौधरी, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा एवं श्री राधा कान्त, आप्त सचिव (राजपत्रित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- सं०का०-१ / वि०मं०(महानुभाव)०८-१० / २०२६-..... / पटना, दिनांक-..... २०२६

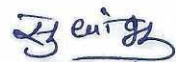
प्रतिलिपि-उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक-१०८५६, दिनांक-१८.०६.२०२६ के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह० / -

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- सं०का०-१ / वि०मं०(महानुभाव)०८-१० / २०२६-७५० / पटना, दिनांक-०३.०७.२०२६

प्रतिलिपि- आईटी० मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


०३-०७-२०२६

सरकार के अवर सचिव।